सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 205 राँची, शुक्रवार, 7 फाल्गुन, 1937 (श०)
26 फरवरी, 2016 (ई०)

योजना-सह-वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

संकल्प

19 फरवरी, 2016

विषय: **वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3445/वि॰, दिनांक 26 सितम्बर, 2014, (पदस्थापन की प्रतीक्षा अथवा अन्य कारणों से उत्पन्न प्रभार रहित अवधि को अल्पतम करते हुए विभागों को और अधिक शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के संबंध में) में संशोधन।**

संख्या-15/एस-03(से॰वि॰)-01/2014/488/वि०--वित्त विभागीय संकल्प संख्या 932/वि॰, दिनांक 5 फरवरी, 1986 द्वारा सरकारी सेवकों के 180 दिनों की प्रभार रहित अवधि को विनियमित करने की शक्ति प्रशासी विभाग को प्रत्यायोजित की गयी थी। 180 दिनों से अधिक की प्रभार रहित अवधि वित्त विभाग की सहमति से विनियमित होते थे।

2. वित्त विभागीय पत्र संख्या 40/वि॰, दिनांक 7 जनवरी, 2011 द्वारा अपरिहार्य कारणों से प्रभार रहित अवधि उत्पन्न होने पर की जाने वाली कारवाईयों से संबंधित विस्तृत निदेश दिये गये हैं, इसके बावजूद पदस्थापन में विलम्ब अथवा अन्य किसी न किसी कारणवश पदाधिकारियों/कर्मियों के अनिवार्य प्रतीक्षा में रहने के मामलों में कोई कमी आयी है, ऐसा आभास नहीं होता है।

3. पुनः वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3445/वि॰, दिनांक 26 सितम्बर, 2014 के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा एवं अन्य कारणों से उत्पन्न प्रभार रहित अवधि को अल्पतम करने एवं उसके विनियमन हेतु विस्तृत निदेश दिये गए हैं। उक्त संकल्प के कंडिका-7 में यह व्यवस्था की गई है कि:-

कण्डिका 7(1):- दो माह से अधिक का waiting for posting के प्रस्ताव की समीक्षा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें विकास आयुक्त, प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, वित्त विभाग एवं प्रशासी विभाग के सचिव सदस्य होंगे। प्रशासी विभाग प्रस्ताव गठित कर समिति के समक्ष लायेंगे।

कण्डिका 7():- समिति की अनुशंसा के बाद विभाग के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त किया जाएगा।

4. सभी पहलुओं पर पूर्ण विचारोपरांत वर्त्तमान प्रक्रिया को सरल करने तथा विभागों को और अधिक शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के उद्देश्य से वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3445/वि॰ दिनांक 26 सितम्बर, 2014 की कंडिका-6 एवं 7 को विलोपित कर निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है :-

कुल प्रभार रहित अवधि	**विनियमन हेतु सक्षम प्राधिकार**	**प्रस्ताव पर सहमति हेतु सक्षम स्तर**	**अभ्युक्ति**
60 दिनों तक	विभागीय सचिव	आंतरिक वित्तीय सलाहकार	प्रस्ताव में सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त होने के पश्चात संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा।
60 दिन से अधिक 180 दिन तक	विभागीय सचिव	योजना-सह-वित्त विभाग	
180 दिन से अधिक 365 दिन तक	विभागीय मंत्री	योजना-सह-वित्त विभाग	
365 दिन से अधिक	वित्त मंत्री		

5. इस संबंध में संकल्प संख्या 3445/वि॰ दिनांक 26 सितम्बर, 2014 के अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 320/वि॰ दिनांक 03 फरवरी, 2016 के क्रम में दिनांक 11 फरवरी, 2016 की बैठक के मद सं॰ 11 में दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमित खरे,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 205—50 ।